

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां
पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

वादी -

सावरसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोरण्डी तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

प्रतिवादीगण -

1. कुनणसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोरण्डी तहसील कुचामन सिटी।
2. मोहनराम पुत्र हथमानराम जाति अहिर (यादव) निवासी ग्राम खोरण्डी तहसील कुचामन सिटी।
3. खेताराम पुत्र रामुराम जाति अहिर (यादव) निवासी ग्राम खोरण्डी तहसील कुचामन सिटी।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी।

दावा अधिकारों की घोषणा करने
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

उपरिथत :- श्री भ्रवणराम जाट अधिवक्ता वादी

श्री सुरेन्द्र सेक्टर अधिवक्ता प्रतिवादी राख्या 1 ता 3

मुकदमा नम्बर: 267/2022

दिनांक :- 18.09.2023

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के सविष्ट तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम खोरण्डी पटवार हल्का खोरण्डी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में कृषि भूमि नवीन खसरा नम्बर 338 रकबा 1.88 हैक्टर व खसरा नम्बर 295 रकबा 2.37 हैक्टर व खसरा नम्बर 306 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 307 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 308 रकबा 3.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 487 रकबा 3.46 हैक्टर कुल रकबा 7.33 हैक्टर व खसरा नम्बर 294 रकबा 1.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 317 रकबा 4.73 हैक्टर कुल रकबा 6.34 हैक्टर व खसरा नम्बर 296 रकबा 2.91 हैक्टर व खसरा नम्बर 315 रकबा 2.64 हैक्टर, खसरा नम्बर 316 रकबा 1.00 हैक्टर कुल रकबा 3.64 हैक्टर स्थित है। खसरा नम्बर 338 रकबा 1.88 हैक्टर भूमि में वादी की 39/94 हिस्सा भूमि व खसरा नम्बर 295 रकबा 2.37 हैक्टर भूमि में वादी की 45/158 हिस्सा भूमि व खसरा नम्बर 294 रकबा 1.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 317 रकबा 4.73 हैक्टर कुल रकबा 6.34 हैक्टर भूमि सम्पूर्ण वादी की व खसरा नम्बर 296 रकबा 2.91 हैक्टर भूमि में वादी की 1/4 हिस्सा भूमि व खसरा नम्बर 315, 316 कुल रकबा 3.64 हैक्टर भूमि में वादी की 2/13 हिस्सा भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादीगण ने आपसी सुविधा एवं सहमति के अनुसार काफी वर्षों पूर्व विभाजन कर लिया था माफिक विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण अपने अपने हक बट हिस्सा भूमि पर कायिज रहे तथा वादी की सीध माट कायम कर आराजीयात भूमि के सहारे अपना व अपने परिवार की आजीविका का निवहान करते चले आ रहे हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण निम्नानुसार आराजीयात पर कायिज रहे हैं-

खसरा नम्बर 295 रकबा 2.37 हैक्टर में वादी की दर्ज 0.0750 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कुनणसिंह के हिस्से में रही। प्रतिवादी खेताराम के हिस्से में से 0.7275 हैक्टर भूमि वादी के हिस्से में रही तथा शेष 0.4575 हैक्टर भूमि खेताराम के हिस्से में रही। प्रतिवादी मोहनराम की 0.51 हैक्टर सम्पूर्ण वादी के हिस्से में रही। खसरा नम्बर 296 रकबा 2.91 हैक्टर में वादी की दर्ज भूमि 0.7275 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी खेताराम के हिस्से में रही। खसरा नम्बर 306, 307, 308 में से प्रतिवादी कुनणसिंह की दर्ज खातेदारी भूमि में से 1/2 हिस्सा की 1.9350 हैक्टर भूमि वादी के हिस्से में रहेगी तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी कुनणसिंह के रहेगा। खसरा नम्बर 487 रकबा 3.46 हैक्टर में प्रतिवादी कुनणसिंह की 1.73 हैक्टर भूमि वादी के हिस्से में रहेगी। खसरा नम्बर 315, 316 कुल रकबा 3.64 हैक्टर में वादी की 2/13 हिस्सा की 0.56 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कुनणसिंह के हिस्से में रहेगी। खसरा नम्बर 338 रकबा 1.88 हैक्टर में वादी की 39/94 हिस्सा की 0.78 हैक्टर भूमि प्रतिवादी मोहनराम के हिस्से में रहेगी। खसरा नम्बर 317 रकबा 4.73 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा की 2.3650 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कुनणसिंह के हिस्से में व शेष 1/2 हिस्सा की 2.3650 हैक्टर भूमि वादी सावरसिंह के एक हिस्से में रहेगी। वादी का दीगर खसरा में से नाम हटाया जाकर मुताबिक उपरोक्त वर्णित के अनुसार एक हिस्सा भूमि पर काबिज चला आ रहा है। इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण उपरोक्त वर्णित अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के कानूनी अधिकारी है। वाद पत्र में वर्णित अनुसार वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा की डिग्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण फरमाने की तहरीर जारी करने की इस्तदुआ की।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 का तामील सम्मन प्राप्त होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सेवर ने ईकबाली जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खोरण्डी के खसरा नम्बर 338 रकबा 1.88 हैक्टर भूमि में वादी की 39/94 हिस्सा भूमि के साथ प्रतिवादी मोहनराम की 39/94 हिस्सा भूमि की खातेदारी दर्ज है एवं खसरा नम्बर 295 रकबा 2.37 हैक्टर भूमि में वादी की 45/158 हिस्सा भूमि के साथ प्रतिवादी खेताराम की 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी मोहनराम की 17/79 हिस्सा भूमि खातेदारी की दर्ज है एवं खसरा नम्बर 294 रकबा 1.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 317 रकबा 4.73 हैक्टर कुल रकबा 6.34 हैक्टर भूमि सम्पूर्ण वादी की एवं खसरा नम्बर 296 रकबा 2.94 हैक्टर भूमि में वादी की 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज चली आ रही है व खसरा नम्बर 315, 316 कुल रकबा 3.64 हैक्टर भूमि में वादी की 2/13 हिस्सा भूमि के साथ प्रतिवादी खेताराम की 19/364 हिस्सा भूमि व प्रतिवादी मोहनराम की 2/13 हिस्सा भूमि की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड दर्ज चली आ रही है। खसरा नम्बर 295 रकबा 2.37 हैक्टर में वादी की दर्ज 0.6750 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कुनणसिंह के हिस्से में रही। प्रतिवादी खेताराम के हिस्से में से 0.7275 हैक्टर भूमि वादी के हिस्से में रही तथा शेष 0.4575 हैक्टर भूमि खेताराम के हिस्से में रही। प्रतिवादी मोहनराम की 0.51 हैक्टर सम्पूर्ण वादी के हिस्से में रही। खसरा नम्बर 296 रकबा 2.91 हैक्टर में वादी की दर्ज भूमि 0.7275 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी खेताराम के हिस्से में रही। खसरा नम्बर 306, 307, 308 में से प्रतिवादी कुनणसिंह की दर्ज खातेदारी भूमि में से 1/2 हिस्सा की 1.9350 हैक्टर भूमि वादी के हिस्से में रहेगी तथा शेष 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी कुनणसिंह के रहेगा। खसरा नम्बर 487 रकबा 3.46 हैक्टर में प्रतिवादी कुनणसिंह की 1.73 हैक्टर भूमि वादी के हिस्से में रहेगी। खसरा नम्बर 315, 316 कुल रकबा 3.64 हैक्टर में वादी की 2/13 हिस्सा की 0.56 हैक्टर भूमि

प्रतिवादी कुनणसिंह के हिस्से में रहेगी। खसरा नम्बर 338 रकबा 1.88 हैक्टर में वादी की 39/94 हिस्सा की 0.78 हैक्टर भूमि प्रतिवादी मोहनराम के हिस्से में रहेगी। खसरा नम्बर 317 रकबा 4.73 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा की 2.3650 हैक्टर भूमि प्रतिवादी कुनणसिंह के हिस्से में व शेष 1/2 हिस्सा की 2.3650 हैक्टर भूमि वादी सांवरसिंह के हक हिस्से में रहेगी। उपरोक्त अनुसार वाद पत्र में वर्णित अनुसार खातेदारी दर्ज कर वाद पत्र डिक्री किया जाता है तो हम उत्तरदातागण को कोई आपत्ति एवं ऐतराज नहीं होगा। हममें हमारी पूर्ण सहमति है। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू.1 वादी सावरसिंह के मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल चालू जमाबंदी प्रदर्श 1 से 5 पेश किये। साक्ष्य प्रतिवादी में डी.डब्ल्यू.1 प्रतिवादी कुनणसिंह के मुख्य परीक्षण के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये। पत्रावली को बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी अपने वाद पत्र में ग्राम खोरण्डी के खसरा नम्बर 295 रकबा 2.37 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित 0.6750 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी कुनणसिंह को व प्रतिवादी खेताराम के हिस्से में से 0.7275 हैक्टर भूमि का वादी को व शेष 0.4575 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी खेताराम को व प्रतिवादी मोहनराम की 0.51 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का वादी को एवं खसरा नम्बर 296 रकबा 2.91 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित भूमि 0.7275 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी खेताराम को एवं खसरा नम्बर 306, 307, 308 कुल रकबा 3.87 हैक्टर में से प्रतिवादी कुनणसिंह के खातेदारी में अंकित भूमि में से 1/2 हिस्सा की 1.9350 हैक्टर भूमि का वादी को व शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी कुनणसिंह को एवं खसरा नम्बर 487 रकबा 3.46 हैक्टर में प्रतिवादी कुनणसिंह की 1.73 हैक्टर भूमि का वादी को एवं खसरा नम्बर 315, 316 कुल रकबा 3.64 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित 2/13 हिस्सा की 0.56 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी कुनणसिंह को एवं खसरा नम्बर 338 रकबा 1.88 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित 39/94 हिस्सा की 0.78 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी मोहनराम को एवं खसरा नम्बर 317 रकबा 4.73 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी कुनणसिंह को व शेष 1/2 हिस्सा का वादी सांवरसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित करवाना चाहते हैं जिसपर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने ईकबाली जवाब पेश कर अपनी सहमति दी है। इसलिए ग्राम खोरण्डी के खसरा नम्बर 295 रकबा 2.37 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित 0.6750 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी कुनणसिंह को व प्रतिवादी खेताराम के हिस्से में से 0.7275 हैक्टर भूमि का वादी को व शेष 0.4575 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी खेताराम को व प्रतिवादी मोहनराम की 0.51 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का वादी को एवं खसरा नम्बर 296 रकबा 2.91 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित भूमि 0.7275 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी खेताराम को एवं खसरा नम्बर 306, 307, 308 कुल रकबा 3.87 हैक्टर में से प्रतिवादी कुनणसिंह के खातेदारी में अंकित भूमि में से 1/2 हिस्सा की 1.9350 हैक्टर भूमि का वादी को व शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी कुनणसिंह को एवं खसरा नम्बर 487 रकबा 3.46 हैक्टर में प्रतिवादी कुनणसिंह की 1.73 हैक्टर भूमि का वादी को एवं खसरा नम्बर 315, 316 कुल रकबा 3.64 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित 2/13 हिस्सा की 0.56 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी कुनणसिंह को एवं खसरा नम्बर 338 रकबा 1.88 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित 39/94 हिस्सा की 0.78 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी मोहनराम को एवं खसरा नम्बर 317 रकबा 4.73 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी कुनणसिंह को व शेष 1/2

हिस्सा का वादी सावरसिंह को खातेदार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम खोरण्डी पटवार हल्का खोरण्डी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 295 रकबा 2.37 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित 0.6750 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी कुनणसिंह को एवं प्रतिवादी खेताराम के हिस्से में से 0.7275 हैक्टर भूमि का वादी को व शेष 0.4575 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी खेताराम को व प्रतिवादी मोहनराम की 0.51 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का वादी को तथा खसरा नम्बर 296 रकबा 2.91 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित भूमि 0.7275 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी खेताराम को तथा खसरा नम्बर 306, 307, 308 कुल रकबा 3.87 हैक्टर में से प्रतिवादी कुनणसिंह के खातेदारी में अंकित भूमि में से 1/2 हिस्सा की 1.9350 हैक्टर भूमि का वादी को व शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी कुनणसिंह को तथा खसरा नम्बर 487 रकबा 3.46 हैक्टर में प्रतिवादी कुनणसिंह के खातेदारी में दर्ज भूमि में से 1.73 हैक्टर भूमि का वादी को तथा खसरा नम्बर 315, 316 कुल रकबा 3.64 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित 2/13 हिस्सा की 0.56 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी कुनणसिंह को तथा खसरा नम्बर 338 रकबा 1.88 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित 39/94 हिस्सा की 0.78 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी मोहनराम को एवं खसरा नम्बर 317 रकबा 4.73 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी कुनणसिंह को व शेष 1/2 हिस्सा का वादी सावरसिंह को खातेदार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.09.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



(विश्वामित्र मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना-कुचामन)
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

अदालत:- उपखण्ड अधिकारी नावां, जिला डीडवाना-कुचामन, राज.

अज अदालत :- श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

वादी -

सावरसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोरण्डी तहसील कुचामन सिटी।
बनाम

प्रतिवादीगण -

1. कुनणसिंह पुत्र गिरधारीसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खोरण्डी तहसील कुचामन सिटी।
2. मोहनराम पुत्र हणमानराम जाति अहिर (यादव) निवासी ग्राम खोरण्डी तहसील कुचामन सिटी।
3. खेताराम पुत्र रामुराम जाति अहिर (यादव) निवासी ग्राम खोरण्डी तहसील कुचामन सिटी।
4. भूमिधारी जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी तहसील कुचामन सिटी।

मुकदमा नम्बर :- 267/2022

निर्णय दिनांक :- 18.09.2023

इनफिसाल कतई रूबरू.....बहाजरी श्री श्रवणराम जाट अधिवक्ता वादी एवं श्री सुरेन्द्र सेवर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को डिक्री दी जाती हैं कि :-

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि ग्राम खोरण्डी पटवार हल्का खोरण्डी तहसील कुचामन सिटी की सरहद में स्थित कृषि भूमि के नवीन खसरा नम्बर 295 रकबा 2.37 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित 0.6750 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी कुनणसिंह को एवं प्रतिवादी खेताराम के हिस्से में से 0.7275 हैक्टर भूमि का वादी को व शेष 0.4575 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी खेताराम को व प्रतिवादी मोहनराम की 0.51 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का वादी को तथा खसरा नम्बर 296 रकबा 2.91 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित भूमि 0.7275 हैक्टर सम्पूर्ण भूमि का प्रतिवादी खेताराम को तथा खसरा नम्बर 306, 307, 308 कुल रकबा 3.87 हैक्टर में से प्रतिवादी कुनणसिंह के खातेदारी में अंकित भूमि में से 1/2 हिस्सा की 1.9350 हैक्टर भूमि का वादी को व शेष 1/2 हिस्सा भूमि का प्रतिवादी कुनणसिंह को तथा खसरा नम्बर 487 रकबा 3.46 हैक्टर में प्रतिवादी कुनणसिंह के खातेदारी में दर्ज भूमि में से 1.73 हैक्टर भूमि का वादी को तथा खसरा नम्बर 315, 316 कुल रकबा 3.64 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित 2/13 हिस्सा की 0.56 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी कुनणसिंह को तथा खसरा नम्बर 338 रकबा 1.88 हैक्टर में वादी के खातेदारी में अंकित 39/94 हिस्सा की 0.78 हैक्टर भूमि का प्रतिवादी मोहनराम को एवं खसरा नम्बर 317 रकबा 4.73 हैक्टर भूमि में से 1/2 हिस्सा का प्रतिवादी कुनणसिंह को व शेष 1/2 हिस्सा का वादी सावरसिंह को खातेदार का शतकार घोषित किया जाता है। उपतहसीलदार चितावा को तहरीर जारी हो।

मुहर



दस्तखत:

ओहदा : उपखण्ड अधिवक्ता
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टम्प अर्जादावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सवूत महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक मीलान	NIL	NIL	स्टम्प अर्जादावा स्टाम्प वकालतनामा महन्ताना वकील खर्चा गाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरीक मीजान	NIL	NIL